Regarding need to ensure implementation of reservation policy in recruitment to the post of lecturer, associate professor and professors in central and state universities-Laid

श्री वीरेन्द्र सिंह **(**चन्दौली**) :** देश में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़ी जाति के योग्य अभ्यर्थियों को उनके हक से वंचित किया जा रहा हैं । देश के कई महत्वपूर्ण केंद्रीय व प्रादेशिक विश्वविद्यालय में दर्जनों की संख्या में लेक्चरर, एसोसिएट प्रोफ़ेसर, प्रोफेसर के पद रिक्त होने के बावजूद एक-एक विषय के एक-एक पद का विज्ञापन प्रकाशित किया जाता हैं ताकि वो आरक्षण के दायरे से बाहर आ जाएँ तथा वहां पर सामान्य श्रेणी के अभ्यर्थियों की नियुक्ति हो सके, साथ ही साथ एक से ज्यादा पदों के सापेक्ष में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़े वर्ग के अभ्यर्थियों को अयोग्य बताकर चयन से वंचित कर दिया जाता हैं । यह देश के संविधान जिसमें डॉ भीमराव अम्बेडकर जी ने कमजोर व वंचित समाज के हित में उनकी रक्षा व संरक्षण हेतु आरक्षण का कानून बनाया था, साथ ही साथ मंडल आयोग की सिफारिश जिसके द्वारा पिछड़ी समाज के कमजोर अभ्यर्थी भी लाभान्वित होते थे, उसके अनुरूप नहीं है ।

हम सरकार से मांग करते है कि सरकार विज्ञापन के अनुसार योग्य अभ्यर्थी न पाए जाने की दशा में उस पद को संरक्षित रखा जाए व बैकलॉक के जरिये पुनः भर्ती प्रक्रिया लागू कर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़ी जाति की भर्ती प्रक्रिया के अनुसार उन्हें आरक्षण का लाभ देने हेतु एडवाइजरी जारी की जाए ।